NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 20-11-2024

विषय सूची

हाई-एल्टीट्यूड सिकनेस (High-Altitude Sickness) से सम्बंधित खतरे

भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29

चीन उत्सर्जन विरोधाभास

भारत में पोलियो उन्मूलन

दूसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन

चीनी आयात पर शुल्क लगाने के प्रभाव

संक्षिप्त समाचार

अफ्रीकी पेंगुइन

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई

सेना सामरिक मिसाइल प्रणाली (ATACMS)

संयुक्त विमोचन 2024 (SANYUKT VIMOCHAN 2024)

सेबी का नया F-O नियम लागू होगा

रूस का नया परमाणु सिद्धांत

तीस्ता घाटी (Teesta Valley)

पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन में बिलंब

हाई-एल्टीट्यूड सिकनेस (High-Altitude Sickness) से सम्बंधित खतरे

संदर्भ

- हिमालय में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से होने वाली मृत्यु की बढ़ती संख्या पर्यटकों के लिए प्रभावी निवारक रणनीतियों के क्रियान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है?

- हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसे चिकित्सकीय भाषा में एक्यूट माउंटेन सिकनेस (AMS) कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब शरीर 8,000 फीट (2,400 मीटर) से अधिक की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के स्तर के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता है।
- **कारण:** अधिक ऊंचाई पर, कम वायु दाब ऑक्सीजन की उपलब्धता को कम करता है, जिससे हाइपोक्सिया (शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी) होता है।
- **AMS के लक्षण:** सिरदर्द, मतली, थकान और सांस लेने में तकलीफ। अगर इलाज न किया जाए, तो AMS विकसित हो सकता है;
    - **हाई-एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा (HAPE):** फेफड़ों में तरल पदार्थ का निर्माण जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है।
    - **हाई-एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा (HACE):** मस्तिष्क में तरल पदार्थ का संचय जिससे भ्रम, मतिभ्रम और कोमा होता है।

हाई-एल्टीट्यूड पर शारीरिक परिवर्तन

- कम ऑक्सीजन के स्तर की भरपाई के लिए सांस लेने की दर में वृद्धि (हाइपरवेंटिलेशन)।
- ऑक्सीजन परिवहन को बढ़ाने के लिए अधिक लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, रक्त को गाढ़ा करना और हृदय पर दबाव बढ़ाना।

हाई-एल्टीट्यूड पर चुनौतियां

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** शिमला जैसे प्रमुख शहरों से परे के क्षेत्रों में उच्च-ऊंचाई वाली बीमारियों के इलाज के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है।
    - लद्दाख में लेह एक अपवाद के रूप में कार्य करता है, जहाँ हाई-एल्टीट्यूड वाली बीमारियों के लिए मजबूत सुविधाएँ विकसित की गई हैं।
- **निवारक स्वास्थ्य उपायों में कमी:** हाई-एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच का अभाव।
    - दूरदराज के क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, हाइपरबेरिक कक्ष या प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की सीमित उपलब्धता।

क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **अनिवार्य पंजीकरण प्रणाली:** हाई-एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की शुरुआत करें, ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके और आपात स्थितियों के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा मिल सके।

- **जांच:** पर्यटकों के लिए प्रवेश बिंदुओं पर निवारक स्वास्थ्य जांच का आयोजन करें।
  - पर्यटकों को अनुकूलन और जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिए चेकपॉइंट्स और सरकारी वेबसाइटों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदर्शित करें।
- **क्रमिक चढ़ाई:** अनुकूलन के लिए समय देने और AMS के जोखिम को कम करने के लिए क्रमिक चढ़ाई के कार्यक्रम को बढ़ावा दें।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय:** प्रमुख पर्यटक केंद्रों पर पूरक ऑक्सीजन या पोर्टेबल हाइपरबेरिक चैंबर प्रदान करें।
  - उच्च ऊंचाई वाले गंतव्यों पर प्रशिक्षित पैरामेडिक्स की तैनाती को प्रोत्साहित करें।
- **अनुसंधान और विकास:** मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर हाई-एल्टीट्यूड की स्थितियों के प्रभावों का अध्ययन करने और बेहतर उपचार विधियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करें।
- **एयर-एम्बुलेंस सेवाएँ:** दूरदराज के क्षेत्रों से तेजी से चिकित्सा निकासी के लिए हिमालयी राज्यों को एयर-एम्बुलेंस सेवाओं से लैस करें।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** स्वास्थ्य सुविधाओं तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बढ़ाएँ।

Source: TH

भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके इटैलियन समकक्ष ने जी-20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 का अनावरण किया।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- यह एक पांच वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना है, जिसमें कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए उनके दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है।
- **रक्षा:**
  - वार्षिक आधार पर संयुक्त रक्षा परामर्श बैठकें, संयुक्त स्टाफ वार्ता आयोजित करना।
  - भारत-प्रशांत क्षेत्र में इटली की बढ़ती रुचि के ढांचे में बातचीत, जिसका उद्देश्य अंतर-संचालन और सहयोग को बढ़ाना है।
  - प्रौद्योगिकी सहयोग पर सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच बढ़ी हुई भागीदारी।
  - दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक रोडमैप पर बातचीत करना।
- **आर्थिक:**
  - द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग और खाद्य प्रसंस्करण पर इटली-भारत संयुक्त कार्य समूह के कार्य का लाभ उठाना।
  - ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचे और उन्नत विनिर्माण में भी औद्योगिक साझेदारी, तकनीकी केंद्रों और आपसी निवेश को बढ़ावा देना।

- **कनेक्टिविटी:** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के ढांचे में समुद्री और भूमि अवसंरचना में सहयोग बढ़ाना।
- **विज्ञान और नवाचार:** महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग का विस्तार करना, दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों में प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला साझेदारी बनाना।
- **अंतरिक्ष:** इटैलियन अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो के बीच सहयोग का विस्तार करना, जिसमें चंद्र विज्ञान पर बल देने के साथ पृथ्वी अवलोकन, हेलियोफिजिक्स एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में सामान्य हित की परियोजनाएं शामिल हैं।
- **ऊर्जा संक्रमण:** वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को मजबूत करना।
- **प्रवासन और गतिशीलता:**
    - कानूनी प्रवासन चैनलों को बढ़ावा देना, साथ ही निष्पक्ष और पारदर्शी श्रम प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।
    - पायलट में भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण और उसके बाद इटली में उनके रोजगार को शामिल किया जाएगा।

भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी

- **राजनयिक संबंध और रणनीतिक:** समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाली प्राचीन सभ्यताओं भारत और इटली ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।
    - भारत और इटली ने 2023 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया है।
- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र:** फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड के बाद इटली यूरोप का अगला देश है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में जुड़ाव में गहरी रूचि ले रहा है।
    - भारत के साथ अपने संबंधों में धीरे-धीरे हो रही बढ़ोतरी इसके हालिया इंडो-पैसिफिक धुरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
    - 2021 में, 'भारत-इटली-जापान' त्रिपक्षीय बैठक शुरू की गई, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि और बहुपक्षवाद की दिशा में कार्य करना था।
    - यह 'भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया' त्रिपक्षीय बैठक के बाद इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की दूसरी त्रिपक्षीय बैठक है, जिसमें कोई यूरोपीय देश शामिल है।
- **वैश्विक मंच:** इटली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई दोनों महत्वपूर्ण पहलों, 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन' और 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' में शामिल हुआ।
    - इटली 2021 में 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' (ISA) में भी शामिल हुआ है, जो G20 की इटैलियन अध्यक्षता और COP26 की सह-अध्यक्षता का वर्ष था।
- **आर्थिक:** इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 14.253 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जिसमें भारतीय निर्यात में 8.691 बिलियन डॉलर शामिल हैं।
    - अप्रैल 2000 और मार्च 2023 के बीच भारत में FDI प्रवाह के मामले में इटली 17वें स्थान पर है।

- FDI आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल (29.8%), ट्रेडिंग (17.1%), औद्योगिक मशीनरी (5.6%), सेवाएँ (5.1%) और विद्युत उपकरण (4.6%) शामिल हैं। दोनों देश समुद्री क्षेत्र में समान चिंताओं के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष में सहयोग को मजबूत करने की संभावना कर रहे हैं।

- **चीन के साथ संबंध:** व्यापक यूरोपीय और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बारे में इटली की चिंता बढ़ रही है। इटली ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से भी स्वयं को अलग कर लिया है, जो एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाता है।
  - भू-राजनीतिक आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप इटैलियन नीति निर्माता एशिया में अपने संबंधों को आकार दे रहे हैं और उन्हें नया रूप दे रहे हैं।
- **भविष्य का दृष्टिकोण:** हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि दोनों पक्षों की ओर से संबंधों में नई रूचि उत्पन्न हुई है।
  - भारत और इटली क्रमशः हिंद महासागर एवं भूमध्य सागर में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, ताकि दोनों समुद्री भूगोल में कनेक्टिविटी, स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सके और इसलिए व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में।

Source: PIB

चीन उत्सर्जन विरोधाभास

संदर्भ

- चीन, जो 15 वर्षों से अधिक समय से विश्व में ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास का सामना कर रहा है।

चीन का उत्सर्जन विरोधाभास: आर्थिक विकास बनाम उत्सर्जन में कमी

- पिछले कुछ दशकों में चीन की आर्थिक वृद्धि एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कीमत पर हुई है। ऊर्जा के लिए कोयले पर देश की भारी निर्भरता ने इसे वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना दिया है, जो वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 30% है।
- इसके बावजूद, चीन ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने और 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

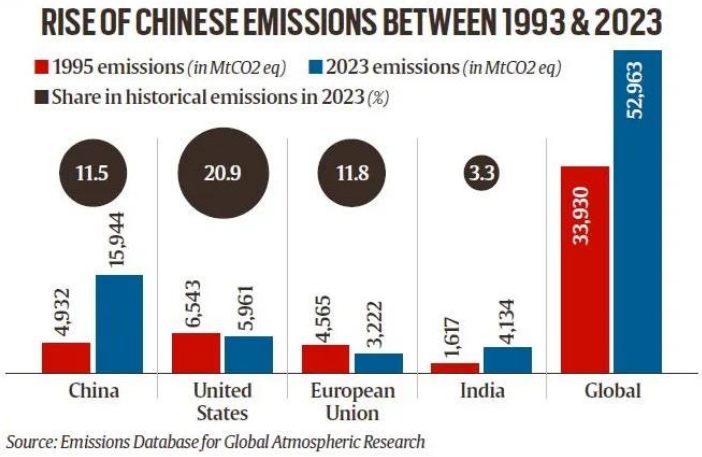

उत्सर्जन कम करने में चुनौतियाँ

- **कोयले पर निर्भरता:** ऊर्जा और उद्योग के लिए कोयले पर इसकी भारी निर्भरता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। 2023 में, उत्सर्जन में 5% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण कोयला आधारित संयंत्र और इस्पात कारखाने हैं।
- **आर्थिक दबाव:** एक विकासशील देश के रूप में, चीन आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ऊर्जा की मांग को बढ़ाता है।
- **तकनीकी और वित्तीय बाधाएँ:** इसके अतिरिक्त, इसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को परिवर्तित के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण बाधाएँ प्रस्तुत करते हैं।

वैश्विक निहितार्थ

- पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य सहित वैश्विक जलवायु लक्ष्य, चीन की उत्सर्जन को कम करने की क्षमता पर अत्यंत सीमा तक निर्भर करते हैं।
- कार्बन एक्शन ट्रैकर के एक हालिया विश्लेषण के अनुसार, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीन को 2030 तक अपने उत्सर्जन को वर्तमान स्तर से कम से कम 66% कम करना होगा।
- चीन के उत्सर्जन के वर्तमान प्रक्षेपवक्र को देखते हुए यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है।

चीन द्वारा उत्सर्जन में कटौती का संभावित प्रभाव

- आर्थिक रूप से, उत्सर्जन में कटौती से विनिर्माण धीमा हो सकता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है।
- कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा में ऊर्जा संक्रमण जटिल और महंगा है, जिससे संभावित रूप से ऊर्जा की कमी या कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
- चीन में विनिर्माण में कमी से उत्पादन कम सख्त नियमों वाले देशों में स्थानांतरित हो सकता है, जिससे वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है।
- भू-राजनीतिक रूप से, चीन के उत्सर्जन में कटौती से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव आ सकता है, विशेषकर चीनी निर्यात पर निर्भर देशों के साथ।

भारत में चुनौतियाँ एवं परिदृश्य

- "ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट" ने अनुमान लगाया है कि जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद, 2024 में भारत में 4.6% और चीन में 0.2% की वृद्धि होगी।
- ग्रीनहाउस गैसों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में चुनौतियों का एक अद्वितीय समूह का सामना कर रहा है, जिसे वैश्विक रणनीति प्रायः अनदेखा कर देती है।
- जबकि वैश्विक जलवायु कार्रवाई का ध्यान अक्षय ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर है, भारत का सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक और विकासात्मक संदर्भ इस दृष्टिकोण को कठिन बनाता है।

- अपनी वृहद जनसँख्या और बढ़ती ऊर्जा मांग के बावजूद, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।

निष्कर्ष और संतुलन अधिनियम

- **चीन की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में विरोधाभास है:** कोयले के उपयोग के कारण यह एक प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है, लेकिन यह हरित प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की चुनौती को दर्शाता है।
- चीन का दोहरा दृष्टिकोण इसके उत्सर्जन में कमी के प्रयासों की जटिलताओं को प्रकट करता है, जिसके महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं।
- इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, वैश्विक समुदाय को एक संतुलित, सतत संक्रमण पर सहयोग करना चाहिए। इसी तरह, भारत को एक जलवायु रणनीति की आवश्यकता है जो उसके विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हो, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा दे और समान वैश्विक नीतियों की वकालत करे जो विकसित देशों को जवाबदेह बनाए।

Source: IE

भारत में पोलियो उन्मूलन

सन्दर्भ

- वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त दर्जा मिलना वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है।

परिचय

- वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI) में भारत की भागीदारी तथा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत मजबूत राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों ने इसे सफल बनाया।

भारत में टीकाकरण

- विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम (EPI) 1978 में शुरू किया गया था।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीके उपलब्ध कराना था।
- 1985 में, इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) कर दिया गया, जिससे शहरी केंद्रों से आगे बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुँच बढ़ गई।
- UIP राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) का एक अभिन्न अंग बन गया, जिसे ग्रामीण जनसँख्या के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2005 में लॉन्च किया गया था।
- आज, UIP विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जो वार्षिक 2.67 करोड़ से अधिक नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है, और 12 वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए मुफ़्त टीके प्रदान करता है।
- पोलियो UIP के तहत लक्षित पहली बीमारियों में से एक थी, और इसका उन्मूलन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य माइलस्टोन बन गया।

पोलियो

- पोलियो (पोलियोमाइलाइटिस) पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। यह मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और इससे लकवा, विकलांगता या यहाँ तक कि मृत्यु जैसी गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं।
- **प्रसार:** पोलियो मुख्य रूप से मल-मौखिक संचरण के माध्यम से फैलता है। यह खाँसने या छींकने से निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से भी फैल सकता है।
- **लक्षण:**
  - अधिकांश मामले हल्के या बिना लक्षण वाले होते हैं।
  - संक्रमित व्यक्तियों का एक छोटा प्रतिशत पक्षाघात संबंधी पोलियो विकसित करता है, जो पक्षाघात का कारण बन सकता है, जो सामान्यतः पैरों या श्वसन मांसपेशियों को प्रभावित करता है।
- **टीकाकरण:**
  - पोलियो का कोई इलाज नहीं है, इसे केवल रोका जा सकता है।
  - कई बार दिया जाने वाला पोलियो का टीका बच्चे को जीवन भर के लिए सुरक्षित रख सकता है।
  - दो टीके उपलब्ध हैं: ओरल पोलियो टीका और निष्क्रिय पोलियो टीका। दोनों ही प्रभावी और सुरक्षित हैं।

पोलियो उन्मूलन में भारत के प्रयास:

- **पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत (1995):** इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) रणनीति का प्रयोग किया गया, जिसके तहत 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच बनाई गई और यह सुनिश्चित किया गया कि पाँच वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे को टीका लगाया जाए।
  - यह अभियान "दो बूँद ज़िंदगी की" नारे के साथ मशहूर हो गया।
- **नियमित टीकाकरण और प्रणाली सुदृढ़ीकरण:** UIP ने पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी), टेटनस, खसरा, हेपेटाइटिस बी और तपेदिक के विरुद्ध मुफ्त टीके उपलब्ध कराए।
- **निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV) परिचय (2015):** IPV पोलियो के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से टाइप 2 पोलियोवायरस के खिलाफ, और 2016 तक धीरे-धीरे देश भर में इसका विस्तार किया गया।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामुदायिक सहभागिता:** सभी स्तरों पर राजनीतिक नेताओं ने सुनिश्चित किया कि संसाधन आवंटित किए जाएं और कार्यक्रम को आवश्यक ध्यान मिले।
  - पल्स पोलियो अभियान भी घर-घर जाकर किए जाने वाले प्रयासों पर काफी हद तक निर्भर थे, जो दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों तक पहुंचने के लिए किए गए थे।
- **अंतिम छलांग:** 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, जिसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के उदाहरण के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया।

आगे की राह

- **वार्षिक पोलियो अभियान:** भारत में प्रतिरक्षण स्तर को उच्च बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा छूट न जाए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (NID) और उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (SNID) आयोजित किए जाते हैं।
- **निगरानी और सीमा टीकाकरण:** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी और टीकाकरण स्थानिक क्षेत्रों से पोलियो के पुनः आयात के जोखिम को कम करने के लिए जारी है।
- **नए टीके और विस्तार:** भारत ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कई नए टीके शुरू किए हैं, जिनमें रोटावायरस, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV), और मीजल्स-रूबेला (MR) वैक्सीन शामिल हैं, जो अन्य वैक्सीन-निवारक बीमारियों को रोकने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं।
- **मिशन इंद्रधनुष:** 2014 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना है।

Source: PIB

दूसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन

समाचार में

भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने रियो डी जेनेरियो में ग्रुप ऑफ 20 (G20) शिखर सम्मेलन के दौरान दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर बैठक आयोजित की

भारत-ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के परिणाम

- **द्विपक्षीय प्रगति:** दोनों प्रधानमंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) व्यापार एवं बाजार पहुंच को बढ़ावा दे रहा है।
  - अधिक व्यापक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) की दिशा में कार्य चल रहा है।
  - व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार विनिमय (AIBX) कार्यक्रम को चार वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
- **ऊर्जा और पर्यावरण:** सौर पीवी, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल विकास में सहयोग के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी (REP) का शुभारंभ।
  - स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के खनिज विदेश लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिज कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर प्रगति।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** संयुक्त परियोजनाओं के साथ अंतरिक्ष साझेदारी को बढ़ावा देना, जैसे कि गगनयान मिशन के लिए समर्थन और 2026 में भारतीय वाहनों पर ऑस्ट्रेलियाई उपग्रहों का प्रक्षेपण।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** 2025 में रक्षा एवं सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा का नवीनीकरण, जिसमें मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- पारस्परिक रसद सहायता व्यवस्था के तहत रक्षा अभ्यास और अंतर-संचालन में वृद्धि।
- क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा और पारस्परिक सूचना-साझाकरण समझौते।
- भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा उद्योग रक्षा प्रदर्शनियों एवं उद्योग यात्राओं में भागीदारी के साथ आगे सहयोग करेंगे।

- **संसदीय सहयोग:** रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निरंतर अंतर-संसदीय सहयोग पर जोर।
- **शिक्षा, लोगों से लोगों का संपर्क और गतिशीलता:** लोगों से लोगों के बीच संबंधों और पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा कार्यक्रम एवं MATES गतिशीलता योजना।
  - व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु और ब्रिसबेन में नए वाणिज्य दूतावास खोलना।
  - शिक्षा एवं खेल में सहयोग, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में परिसरों की स्थापना और खेल विज्ञान तथा इवेंट मैनेजमेंट के लिए संयुक्त पहल शामिल हैं।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और संप्रभुता में साझा हितों के साथ एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता।
  - स्वास्थ्य, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन में क्वाड पहलों के लिए समर्थन।
  - पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और इंडो-पैसिफिक महासागर पहल जैसे क्षेत्रीय ढांचे के तहत आसियान केंद्रीयता एवं सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) सहित हिंद महासागर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता, और जलवायु, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर प्रशांत द्वीप देशों के लिए समर्थन।
- **आतंकवाद का मुकाबला और वैश्विक मुद्दे:** दोनों नेताओं ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और आतंकवाद के वित्तपोषण एवं वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) पहलों पर सहयोग की संभावना तलाशी।
- **भविष्य की राह:** दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को घनिष्ठ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं वर्षगांठ के 2025 के स्मरणोत्सव का स्वागत किया।
  - उन्होंने 2025 में अगले भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा की।

Source: PIB

चीनी आयात पर शुल्क लगाने के प्रभाव

संदर्भ

- अमेरिका अपने व्यापार घाटे को कम करने और चीन की औद्योगिक सब्सिडी का सामना करने के लिए चीनी आयात पर 60% तक टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है।

क्या आप जानते हैं ?

- टैरिफ़ आयात पर लगाए जाने वाले कर हैं, जो विदेशी वस्तुओं को अधिक महंगा बनाते हैं, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उनका आकर्षण कम हो जाता है।
- टैरिफ़ मुख्य रूप से आयात करने वाले देश को प्रभावित करता है, लेकिन यह निर्यात करने वाले देश को भी प्रभावित करता है।

चीनी आयात पर टैरिफ का प्रभाव

- **उच्च घरेलू कीमतें:** टैरिफ अमेरिका में चीनी वस्तुओं की लागत बढ़ाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे घरेलू मुद्रास्फीति हो सकती है।
- **घरेलू उत्पादन को बढ़ावा:** आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा बनाकर, टैरिफ उपभोक्ताओं को घरेलू रूप से उत्पादित विकल्पों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संभावित रूप से घरेलू औद्योगिक उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है।
- **व्यापार घाटे पर प्रभाव:** चीनी वस्तुओं पर कम निर्भरता अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने में सहायता कर सकती है, जिससे संभावित रूप से डॉलर मजबूत हो सकता है और लंबे समय में मुद्रास्फीति कम हो सकती है।

वैश्विक प्रभाव

- **प्रतिशोधी टैरिफ:** यदि चीन या अन्य प्रभावित देश अमेरिकी वस्तुओं पर प्रति-टैरिफ लगाते हैं, तो यह वैश्विक व्यापार युद्ध में बदल सकता है।
- **वैश्विक मुद्रास्फीति:** व्यापार युद्धों से वैश्विक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बिगड़ सकती है।
- **व्यापार पैटर्न में परिवर्तन:** चीनी वस्तुओं की बढ़ती लागत से राष्ट्रों को आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।

भारत के लिए अवसर

- **निर्यात को बढ़ावा:** वैश्विक खरीदार चीनी वस्तुओं के विकल्प की खोज कर रहे हैं, जिससे भारतीय निर्माता कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **भू-राजनीतिक लाभ:** वैश्विक व्यापार संघर्षों में भारत का तटस्थ रुख बहुपक्षीय मंचों पर इसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है और अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ा सकता है।
- **निवेश आकर्षित करना:** अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव वैश्विक निर्माताओं को भारत में आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

भारत के लिए चिंताएँ

- **मुद्रास्फीति पर प्रभाव:** व्यापार युद्धों के कारण वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि से भारत में आयातित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे कच्चे तेल और उर्वरकों जैसी आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है।
- **आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** यदि टैरिफ लागत बढ़ाते हैं या उपलब्धता को सीमित करते हैं, तो घटकों और मशीनरी के लिए चीनी आयात पर भारत की भारी निर्भरता चुनौतियों का सामना कर सकती है।

आगे की राह

- **आयात में विविधता लाना:** भारत को आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर चीनी आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए।

- **व्यापार समझौते:** इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) जैसी क्षेत्रीय व्यापार साझेदारी को मजबूत करना और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करना वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित कर सकता है।
- **बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए बंदरगाह संपर्क, रसद और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना।

निष्कर्ष

- चीनी आयात पर टैरिफ लगाने से अमेरिका जैसे देशों के लिए अल्पकालिक व्यापार असंतुलन दूर हो सकता है, लेकिन इससे वैश्विक व्यापार में व्यवधान और मुद्रास्फीति के दबाव का जोखिम है।
- खुद को एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र के रूप में रणनीतिक रूप से स्थापित करके और घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देकर, भारत जोखिमों को कम कर सकता है तथा बदलती वैश्विक व्यापार गतिशीलता का लाभ उठा सकता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

अफ्रीकी पेंगुइन

संदर्भ

- अफ्रीकी पेंगुइन विश्व की पहली पेंगुइन प्रजाति बन गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

परिचय: अफ्रीकी पेंगुइन (स्फेनिस्कस डेमर्सस)

- यह सबसे छोटी पेंगुइन प्रजातियों में से एक है, जिसे सामान्यतः गधे जैसी आवाज़ के कारण "जैकस" पेंगुइन के रूप में जाना जाता है। नर सामान्यतः अपनी मादा समकक्षों की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं।
  - अफ्रीकी पेंगुइन एकांगी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके जीवन भर एक ही साथी होता है।
- **विशेषताएँ:** अफ्रीकी पेंगुइन को उनकी आँखों के ऊपर त्वचा के गुलाबी धब्बों से पहचाना जा सकता है, जिनका उपयोग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- **निवास स्थान:** वे केवल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। 1800 के दशक से उनकी संख्या में गिरावट आ रही है और वर्तमान में जंगल में 20,000 से भी कम पक्षी बचे हैं।
- **खतरा:** शिकारी, जैसे केप फर सील और केल्प गल्स, समुद्र का बढ़ता तापमान एवं शिकार की कमी (सार्डिन और एंकोवी जैसी छोटी मछलियाँ)।
- **संरक्षण:** उन्हें 1973 से दक्षिण अफ्रीका के समुद्री पक्षी और सील संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है (और हाल ही में 2017 से समुद्री संकटग्रस्त या संरक्षित प्रजाति विनियमों के तहत)।
  - ये कानून एवं नियम पेंगुइन या उनके अंडों को पकड़ने और उन्हें जानबूझकर कोई हानि पहुँचाने पर प्रतिबंध लगाते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- पेंगुइन 17 से 19 प्रजातियों के पक्षियों का एक परिवार है जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं।
- इनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के छोटे नीले पेंगुइन, अंटार्कटिका के राजसी सम्राट पेंगुइन एवं गैलापागोस पेंगुइन (भूमध्य रेखा के उत्तर में पाया जाने वाला एकमात्र पेंगुइन) शामिल हैं।
- हालाँकि पेंगुइन पक्षी हैं, लेकिन उनके पास पंखों के बजाय फ्लिपर्स होते हैं और वे उड़ नहीं सकते।

Source: DTE

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023

संदर्भ

- वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डैनियल बारेनबोइम एवं अली अबू अव्वाद को प्रदान किया गया।

परिचय

- अबू अव्वाद एक प्रख्यात फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं।
- अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानोवादक बरेनबोइम को पश्चिम एशिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग करने के उनके प्रयास के लिए जाना जाता है।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

- 1986 में स्थापित यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल होता है।
- इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्र भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है।
- इसका उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों और संस्थानों को सम्मानित करना है जिन्होंने मानवता एवं ग्रह पृथ्वी की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया है।
- पुरस्कार पाने वालों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नामांकित व्यक्तियों में से चुना जाता है।
    - पिछले वर्ष यह पुरस्कार देश में कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधियों के रूप में भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) और भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ (TNAI) को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था।

Source: TH

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।

परिचय

- **प्रारंभिक जीवन:** 19 नवंबर, 1828 को वाराणसी में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका तांबे था और प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था।
    - उन्होंने मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया था, जो बहादुरी की ओर उनके शुरुआती झुकाव को दर्शाता है।
- **विवाह:** झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से उनका विवाह हुआ, जिसके बाद उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा।
- **अंग्रेजों के साथ संघर्ष:** अंग्रेजों ने व्यपगत सिद्धांत के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का आदेश दिया और रानी को पेंशन का आश्वासन दिया।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति थीं और उन्हें भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है।
- सर ह्यूग रोज़ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झाँसी की घेराबंदी की और रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सेना में शामिल हो गईं।
- **ग्वालियर की लड़ाई:** उन्होंने ग्वालियर में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और 18 जून, 1858 को शहीद हो गईं।

Source: PIB

सेना सामरिक मिसाइल प्रणाली (ATACMS)

समाचार में

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने छह ATACMS का प्रयोग किया।

ATACMS के बारे में

- 1980 के दशक में लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित ATACMS, एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे 300 किलोमीटर तक के उच्च-मूल्य वाले शत्रु के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- आर्टिलरी रॉकेटों के विपरीत, ATACMS बहुत अधिक ऊँचाई पर और दूर तक उड़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण उच्च गति से ज़मीन पर लौटते हैं। शुरू में सोवियत संपत्तियों को लक्षित करने के लिए बनाया गया, यह उस समय के कुछ निर्देशित हथियारों में से एक था जब अमेरिका ज़्यादातर बिना निर्देशित हथियारों का प्रयोग करता था।
- पेंटागन के पास वर्तमान में दो संस्करण हैं: एक क्लस्टर वारहेड के साथ और दूसरा एकल विस्फोटक चार्ज के साथ।

Source :IE

संयुक्त विमोचन 2024(SANYUKT VIMOCHAN 2024)

समाचार में

भारतीय सेना ने गुजरात में संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

SANYUKT VIMOCHAN 2024 के बारे में

- यह एक बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास है।
- इसमें भारत की आपदा प्रतिक्रिया तत्परता को प्रदर्शित किया गया और इसमें विभिन्न भारतीय सशस्त्र बल, आपदा प्रबंधन एजेंसियां और विदेशी प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।
- अभ्यास की शुरुआत टेबल टॉप एक्सरसाइज (TTX) से हुई, जिसमें गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात परिदृश्य का अनुकरण किया गया। दूसरे दिन पोरबंदर के चौपाटी बीच पर बहु-एजेंसी क्षमता प्रदर्शन किया गया, जहाँ भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक और अन्य एजेंसियों द्वारा समन्वित रसद, त्वरित प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रबंधन कार्यों का अभ्यास किया गया।
    - प्रदर्शन में बचाव अभियान, हताहतों को निकालना और प्रभावित नागरिकों का पुनर्वास शामिल था।

महत्त्व

- आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ जुड़े इस कार्यक्रम में स्वदेशी आपदा प्रतिक्रिया प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए एक औद्योगिक प्रदर्शन भी किया गया।
- नौ देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया गया।
- इस अभ्यास ने भारत की राष्ट्रीय तैयारियों को मजबूत किया और वैश्विक आपदा राहत में इसके नेतृत्व को प्रदर्शित किया।

Source :PIB

सेबी का नया F&O नियम लागू होगा

संदर्भ

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा प्रस्तावित प्रमुख उपाय 21 नवंबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

परिचय

- सेबी ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स को मजबूत करने के लिए छह उपायों का एक सेट जारी किया।
- इनमें से तीन उपाय प्रभावी होंगे;
    - इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए अनुबंध आकार को वर्तमान अनुबंध आकार 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करना,
    - साप्ताहिक इंडेक्स डेरिवेटिव उत्पादों को युक्तिसंगत बनाना,

- जिससे प्रत्येक एक्सचेंज को साप्ताहिक समाप्ति के साथ अपने बेंचमार्क इंडेक्स में से केवल एक के लिए अनुबंध प्रदान करने की अनुमति मिल सके,
- विकल्प समाप्ति के दिन टेल रिस्क कवरेज में वृद्धि, या किसी दुर्लभ घटना के कारण होने वाली हानि की संभावना।

- अन्य उपायों में शामिल हैं;
  - विकल्प खरीदारों से विकल्प प्रीमियम का अग्रिम संग्रह,
  - स्थिति सीमा की इंट्राडे निगरानी,
  - समाप्ति के दिन कैलेंडर स्प्रेड उपचार को हटाना।

वायदा और विकल्प (F&Os)

- F&Os डेरिवेटिव अनुबंध हैं जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं जिनमें स्टॉक, कमोडिटीज, मुद्राएं आदि शामिल हैं।
- भविष्य में मूल्य आंदोलन की उनकी उम्मीद के आधार पर, निवेशक एक छोटी मार्जिन राशि का भुगतान करके परिसंपत्ति को 'लॉट' (एक लॉट में परिसंपत्ति की कई इकाइयां होती हैं) में खरीदने या बेचने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं।

वायदा अनुबंध

- वायदा अनुबंध दो पक्षों के बीच एक मानकीकृत समझौता है, जिसके तहत किसी परिसंपत्ति को किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी विशिष्ट भविष्य की तिथि पर क्रय या विक्रय किया जाता है।
- क्रेता और विक्रेता दोनों को निर्दिष्ट भविष्य की तिथि पर अनुबंध निष्पादित करने की बाध्यता होती है।
- निवेशक केवल एक मार्जिन (कुल मूल्य का एक अंश) का अग्रिम भुगतान करते हैं, अंतर्निहित परिसंपत्ति की पूरी लागत का नहीं।
- अंतर्निहित परिसंपत्तियाँ: स्टॉक, कमोडिटी, मुद्राएँ, आदि।

विकल्प/ऑप्शन अनुबंध

- ऑप्शन अनुबंध खरीदार को अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं, कि वह अनुबंध की समाप्ति तिथि से पहले या उस दिन पूर्व-निर्धारित मूल्य पर कोई परिसंपत्ति खरीद (कॉल ऑप्शन) या बेच (पुट ऑप्शन) सके।
- ऑप्शन के खरीदार के पास यह लचीलापन होता है कि अगर यह उनके लिए लाभदायक है तो वह अनुबंध का प्रयोग कर सकता है या अगर नहीं तो उसे समाप्त होने दे सकता है।
  - खरीदार इस अधिकार के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है।

Source: IE

रूस का नया परमाणु सिद्धांत

संदर्भ

- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक संशोधित परमाणु सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नई शर्तें निर्धारित की गईं जिनके तहत देश अपने शस्त्रागार का उपयोग करने पर विचार करेगा।

नये परमाणु सिद्धांत के बारे में

- नई परमाणु निवारक नीति रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के 1,000वें दिन आई है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के उस निर्णय के बाद आई है जिसमें उन्होंने यूक्रेन को अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति दी थी।

प्रमुख विशेषताऐं

- **हवाई हमलों के लिए परमाणु प्रतिक्रिया:** सिद्धांत में कहा गया है कि रूस पर एक बड़े पैमाने पर हवाई हमला परमाणु प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जो पश्चिम को रोकने के लिए अपने परमाणु शस्त्रागार का उपयोग करने के लिए रूस की तत्परता का संकेत देता है।
- **परमाणु उपयोग के लिए बढ़ा हुआ दायरा:** सिद्धांत अब कहता है कि एक गैर-परमाणु शक्ति द्वारा किया गया हमला, एक परमाणु शक्ति द्वारा समर्थित, एक संयुक्त हमला माना जाएगा। यह रूस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाले पारंपरिक हमले के जवाब में परमाणु जवाबी कार्रवाई की भी अनुमति देता है।
- **अस्पष्ट शब्द:** दस्तावेज़ में अस्पष्ट भाषा का उपयोग किया गया है, जिसमें "संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा" शामिल है और यह व्याख्या करने के लिए जगह छोड़ता है कि परमाणु हथियारों का उपयोग कब किया जा सकता है।
- **नाटो संदर्भ:** सिद्धांत घोषित करता है कि नाटो जैसे सैन्य ब्लॉक या गठबंधन द्वारा रूस के खिलाफ आक्रमण को पूरे ब्लॉक द्वारा आक्रमण के रूप में देखा जाता है।
- **परमाणु उपयोग के लिए शर्तें:** अद्यतन सिद्धांत परमाणु उपयोग के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें मिसाइलों, विमानों, ड्रोन या अन्य उड़ने वाले वाहनों से जुड़े बड़े पैमाने पर हवाई हमले शामिल हैं।
- **परमाणु उपयोग के लिए व्यापक कारण:** पिछले संस्करणों की तुलना में, यह सिद्धांत उन परिस्थितियों को काफी हद तक व्यापक बनाता है जिनके तहत परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें संभावित पारंपरिक हमलों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है।

Source: TH

तीस्ता घाटी(Teesta Valley)

संदर्भ

- दो समुदाय-आधारित हरित हिमालयी संगठनों ने सरकार को प्रत्येक मानसून ऋतु में सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए तीस्ता नदी से उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरों के बारे में चेतावनी दी है।

परिचय

- 2025 के मानसून से पहले केवल छह महीने शेष रह गए हैं, इसलिए तीस्ता घाटी में बाढ़ से निपटने के उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।
- सिक्किम और पश्चिम बंगाल में प्रभावी उपायों के कार्यान्वयन से भविष्य में बाढ़ के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

तीस्ता घाटी

- यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में।
- घाटी का नाम तीस्ता नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसके बीच से बहती है।
    - यह नदी तिब्बती पठार से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले भारतीय राज्यों सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल से गुज़रते हुए दक्षिण की ओर बहती है।
- खेचोपलरी झील, जिसे प्रायः एक पवित्र झील के रूप में जाना जाता है, घाटी के पास स्थित है और कई तीर्थयात्रियों एवं ट्रेकर्स को आकर्षित करती है।

Source: TH

पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन में बिलंब

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने 2020 के राष्ट्रपति के आदेश के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन में देरी पर सवाल उठाया है।

परिसीमन क्या है?

- यह किसी देश या प्रांत में चुनावी उद्देश्यों के लिए विधायी निकाय वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ या सीमाएँ तय करने का कार्य या प्रक्रिया है।
- **परिसीमन आयोग:** परिसीमन का काम परिसीमन आयोग या सीमा आयोग को सौंपा जाता है।
    - भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च-शक्ति वाला निकाय है जिसके आदेश कानून की क्षमता रखते हैं।
    - इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।
    - ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि को लागू होते हैं।
    - इसके आदेशों की प्रतियाँ लोक सभा और संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाती हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - **अनुच्छेद 82:** यह संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करने का अधिकार देता है।
    - **अनुच्छेद 170:** यह राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान करता है।
- **कार्य:**

- निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण इस तरह से करना कि सभी सीटों की जनसंख्या, जहाँ तक संभव हो, समान हो।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना, जहाँ उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है।

- **संरचना:** परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
  - सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
  - मुख्य चुनाव आयुक्त
  - संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।
- **आवृत्ति:** भारत में ऐसे परिसीमन आयोग 4 बार गठित किए गए हैं:
  - 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत
  - 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत
  - 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 के तहत
  - 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत।

Source: IE